

प्रेषक,  
दिलीप जावलकर,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,  
निदेशक,  
पर्यटन निदेशालय,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

**पर्यटन अनुभाग**

**देहरादून दिनांक 29 जनवरी, 2018**

**विषय:—चम्बा (टिहरी गढ़वाल) में मल्टीलेवल कार एवं बस पार्किंग के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक योजना लागत ₹ 693.10 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-351 / VI(1)/2014-02(08)/2014, दिनांक 4 मार्च, 2014 के माध्यम से ₹ 693.10 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए ₹ 200.00 लाख, शासनादेश संख्या-1102 / VI(1)/2016-02(08)/2014, दिनांक 31 मई, 2016 द्वारा ₹ 74.14 लाख, शासनादेश संख्या-1760 / VI(1)/2016-02(08)/2014, दिनांक 26 अगस्त, 2016 द्वारा ₹ 100.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-927 / VI(1)/2017-02(08)/2014, दिनांक 24 मई, 2017 द्वारा ₹ 50.00 लाख तथा पर्यटन विकास परिषद के कार्यालय आदेश संख्या-2925 / 2-6-836 / 2016-17, दिनांक 28 नवम्बर, 2016 द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के पर्यटन कोष से ₹ 50.00 लाख इस प्रकार कुल धनराशि ₹ 474.14 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

उक्त के क्रम में आपके पत्र संख्या-401 / 2-6-68(चालू योजना) / 2018, दिनांक 18 जनवरी, 2018 के सदर्थ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-26 में चालू निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि ₹ 300.00 लाख में से चम्बा (टिहरी गढ़वाल) में मल्टीलेवल कार एवं बस पार्किंग के निर्माण हेतु ₹ 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (i) धनराशि अवमुक्त से सम्बन्धित पूर्व शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।
- (ii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- (iii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- (iv) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री की प्रयोग में लायी जाये।
- (v) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

- (vi) कार्य के प्रति पूर्ण भुगतान करने से पूर्व किसी तृतीय पक्ष से इसकी गुणवत्ता की चेकिंग का कार्य उक्त अनुमोदित लागत से कराये जाने के बाद कार्य अनुमोदित आगणन के 2-6-836/2017-18, दिनांक 18 अप्रैल, 2017 अनुसार होने की पुष्टि पर ही भुगतान किया जायेगा। यह दायित्व निदेशक पर्यटन का होगा। अतः निदेशक पर्यटन Third party Monitering की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें।
- (vii) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
- (viii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2018 तक अवश्य कर लिया जाय।
- (ix) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
- (x) कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 एवं समय-समय पर इस सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

2- उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-26 के लेखाशीर्षक 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-04-राज्य सेक्टर-47-निर्माण कार्य चालू-24-वृहत् निर्माण कार्य मानक मद के नामे डाला जायेगा।

3- उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-610/3(150)XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 के प्राविधानों द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

4- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-26 के अन्तर्गत अलोटमेंट आईडी-S.180.126.0453.....द्वारा निर्गत किया जा रहा है।  
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(दिलीप जावलकर)  
सचिव।

संख्या:- 240/VI(1)/2018-02(08)/2014, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
- 3- आयुक्त गढ़वाल मण्डल।
- 4- जिलाधिकारी टिहरी।
- 5- जिला पर्यटन विकास अधिकारी टिहरी।
- 6- वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था।
- 8- एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा राँकली)  
संयुक्त सचिव।